आवेदन क्रमांक	आवेदन प्रपत्र मुल्य रू. 200.00

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

साँची दुग्ध, दुग्ध उत्पाद एवं घी वितरक नियुक्ति हेतु आवेदन प्रपत्र

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन
मक्सी रोड़ डेयरी प्लांट, उज्जैन–456001
दूरभाष – 2527061,2527068,2527066

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मक्सी रोड़, पोस्ट बॉक्स नं.106, उज्जैन–456001 (म.प्र.)

दूरभाष – 0734–2527068, फेक्स नं. 2527063

साँची दुग्ध, दुग्ध पदार्थ एवं घी वितरक नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रण सूचना

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मार्यादित, उज्जैन द्वारा दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र के निम्नलिखित ग्रामीण क्षेत्रों/कस्बो/शहरो में साँची दुग्ध, दुग्ध पदार्थ एवं घी विक्रय करने हेतु वितरक नियुक्त करने के लिए तीन वर्ष की अवधि (जिसे कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से एक–एक वर्ष करके दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।) हेतु आर्थिक रूप से सक्षम अनुभवी एवं योग्य व्यक्तियों/संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किये जाते है :–

क्र.	क्षेत्र	जिला	क्र.	क्षेत्र	जिला
1	भाटपचलाना	उज्जैन	16	दुपाड़ा	शाजापुर
2	झारड़ा	उज्जैन	17	चौमा	शाजापुर
3	रतनगढ	नीमच	18	जावरा	रतलाम
4	जीरन	नीमच	19	नामली	रतलाम
5	कुकड़ेश्वर	नीमच	20	ढ़ोढर	रतलाम
6	बगाना	नीमच	21	पिपलौदा	रतलाम
7	डीकेन	नीमच	22	शामगढ़	मंदसौर
8	रतनगढ़	नीमच	23	गरोठ	मंदसौर
9	सिंगोली	नीमच	24	भानपुरा	मंदसौर
10	रामपुरा	नीमच	25	मल्हारगढ़	मंदसौर
11	मोरवन	नीमच	26	नारायणगढ़	मंदसौर
12	सरवानिया महाराज	नीमच	27	जीरापुर	राजगढ़
13	नयागांव	नीमच	28	मोड़ी	राजगढ़
14	नरवर	देवास	29	माचलपुर	राजगढ़
15	बांगर	देवास	30	बदनावर	धार

क्र.	क्षेत्र	राज्य	क्र.	क्षेत्र	राज्य
1	बासवाड़ा	राजस्थान	3	चौमेला	राजस्थान
2	कुशलगढ़	राजस्थान	4	डग	राजस्थान

इच्छुक आवेदक वेबसाईट www.sanchidairy.com के माध्यम से राशि रूपये 200/- का आवेदन प्रपत्र दिनांक 22/07/2022 से डाउनलोड कर या उज्जैन दुग्ध संघ कार्यालय, मक्सी रोड़, उज्जैन/दुग्ध संयंत्र रतलाम/मंदसौर एवं दुग्ध शीतकेन्द्र शाजापुर/आगर मालवा से क्रय कर आवेदन प्रपत्र में आवश्यक जानकारी व दस्तावेज संलग्न कर उज्जैन दुग्ध संघ कार्यालय, मक्सी रोड़, उज्जैन में जमा कर सकते है। अन्य विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट www.sanchidairy.com पर लॉगऑन करें या निम्नलिखित दूरभाष क्र. पर सम्पर्क करें :-

क्र.	जिला	नाम	मोबाईल नम्बर
1	उज्जैन	हेमंत बांगरे	9425918509
2	रतलाम	पप्पु सिंह राणा	9691834372
3	आगर/शाजापुर	मुकेश कारपेंटर	9424508945
4	मंदसौर	धर्मेंद्र धाकड़े	8319630904
5	नीमच	एस.पी. मिन्हास	7000472762

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
मक्सी रोड़ उज्जैन (म.प्र.)

साँची दुग्ध/दुग्ध उत्पाद एवं घी
वितरकशीप हेतु आवेदन पत्र

पासपोर्ट
साईज फोटो
(स्व प्रमाणित)

1. आवेदक/फर्म का नाम–..
2. पिता का नाम –..
3. स्थायी पता –..
....(दस्तावेज संलग्न करें।).
वर्तमान व्यवसाय ....विक्रय कर पंजीयन क्रं.........
4. शैक्षणिक योग्यता...
5. जन्मतिथि ....
6. किसी कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहे है (दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ/घी वितरक कार्य)
7. (अ) एफ.एम.सी.जी. व्यवसाय का अनुभव ....
(ब) दूध व्यवसाय का अनुभव...(दस्तावेज संलग्न करें)
(दूध व्यवसाय को प्राथमिकता दी जायेगी।)
8. शहर क्षेत्र का नाम ....
9. नवीन कार्य आरंभ करने की स्थिति में जानकारी देवें...
मोबाईल क्रमांक ....ई–मेल आई.डी. ....
10. चाहे गये क्षेत्र का नाम ....
11. मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें
12. आवश्यक पूंजी, स्टॉफ, वाहन आदि की व्यवस्था ....
13. वर्तमान मे किसी एफ.एम.सी.जी. कम्पनी की वितरक शीप है, तो कम्पनी का नाम एवं अनुबंध की प्रतिलिपि (संलग्न करें यदि उपलब्ध है तो)
14. जमानतदार (1) का नाम ....कार्य...
पता ....
15. जमानतदार (1) का नाम ....कार्य...
पता ....

मेरे द्वारा .... शहर/ग्राम/कस्बा में विपणन हेतु वितरक कार्य संबंधी इस फॉर्म के साथ संलग्न समस्त शर्ते एवं अनुबंध की शर्ते पढ़ और समझ ली गई है और मान्य करता/करती हुं। इस हेतु मेरे द्वारा शर्तें हस्ताक्षरित कर फॉर्म के साथ संलग्न की है। आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर

....

नाम
सील

वितरक नियुक्ति शर्ते/प्रक्रिया

1. ....शहर/ग्राम/कस्बा में वितरक कार्य हेतु आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदनकर्ता को संबंधित जिले का निवासी होना आवश्यक होगा।
2. आवेदक को दूध, खाद्य पदार्थ या एफ.एम.सी.जी के विक्रय का अनुभाव होने पर वरीयता दी जाएगी। तथापि क्षेत्र में नवीन कार्य आरंभ करने के इच्छुक आवेदक भी आवेदन दे सकते है।
3. यदि एक ही स्थान के लिए एक से अधिक अभ्यार्थी आवेदन करते है तो अनुभवी आवेदक को वरीयता दी जाएगी।
4. एक ही स्थान के लिए एक से अधिक वितरक बनाये जाने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा।
5. वितरक चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत आवेदक को दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण करनी होगी।
6. वितरक कार्य हेतु चयनित होने पर आवेदक को दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित प्रपत्र में रूपये 1000/– के नॉन ज्युडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा, जिसका प्रारूप फार्म के साथ संलग्न है।
7. वितरक कार्य हेतु दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के भण्डारण एवं शीतलीकरण हेतु उचित प्रशीतन हेतु विक्रय की क्षमता अनुसार डीपफ्रीज़ होना आवश्यक है।
8. वितरक कार्य हेतु चयनित होने पर प्रथमतः प्रतिभूति राशि रूपये 50,000/– (पचास हजार मात्र) जमा करना अनिवार्य है, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। भविष्य में विक्रय वृद्धि होने पर विक्रय अनुपात मे पाँच दिवस के विक्रय के समतुल्य प्रतिभूति राशि जमा करना अनिवार्य होगा।
9. दुग्ध संघ द्वारा जो दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद क्रेट में प्रदाय किये जायेंगे, उसकी समतुल्य राशि दुग्ध संघ कार्यालय में वितरक को सुरक्षा राशि के रूप में नगद जमा करनी होगी। कार्य समाप्त करने के दौरान संपूर्ण क्रेट जमा करने पर सुरक्षा राशि वापिस की जावेगी।
10. दुग्ध संघ एक शहर/कस्बा/ग्राम में एक से अधिक वितरक नियुक्त करने हेतु स्वतंत्र होगा।
11. दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित ट्रेड मार्जिन जो कि वितरक को देय होगा, में परिवहन भी सम्मिलित होगा।
12. वर्तमान में दुग्ध संघ द्वारा वितरक मार्जिन रू. 0.36 प्रति लीटर एवं विक्रेता मार्जिन रू. 2.50 प्रति लीटर देय है। जिसे परिवर्तित करने का अधिकार दुग्ध संघ के पास सुरक्षित है।

<u>साँची दुग्ध, दुग्ध पदार्थ एवं घी वितरक अनुबंध</u>

यह कि अनुबंध आज दिनांक ....को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़ उज्जैन जिसे आगे दुग्ध संघ के नाम से संबोधित किया जावेगा एवं श्री/मेसर्स .... जिन्हे आगे वितरक के नाम से संबोधित किया जावेगा के मध्य निष्पादित किया गया। इस अनुबंध के तहत निम्न शर्तों क अधीन साँची दुग्ध, दुग्ध उत्पाद एवं घी वितरक कार्य संपादित करेंगे।

1. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यवसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत वितरक को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा। इसके लिए दुग्ध संघ किसी तरह से न्यायलयीन प्रक्रिया से मुक्त होगा। यदि वितरक इस अनुबंध के तहत कार्य नहीं करना चाहता है तो उसे दुग्ध संघ को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस वितरक कार्य छोड़ने बाबत् देना होगा।

2. वितरक दुग्ध संघ के पास राशि रूपये 50,000/– .... बतौर जमानत प्रतिभूति राशि RTGS/NEFT के माध्यम से दुग्ध संघ कार्यालय में जमा की गई है। भविष्य में विक्रय वृद्धि होने पर विक्रय अनुपात में पाँच दिवस के विक्रय समतुल्य प्रतिभूति राशि जमा करना अनिवार्य होगा। दुग्ध संघ में जमा की गई अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

3. वितरक दुग्ध संघ द्वारा आवंटित शहर/स्थान जिस पर स्थित सॉची दुग्ध, दुग्ध उत्पाद एवं घी विक्रय केन्द्र जिनकी संख्या दुग्ध संघ अपनी आवश्यकतानुसार घटा या बढ़ा सकता है, पर साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित समयावधि में विक्रय केन्द्रों के माध्यम से विपणन व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

4. वितरक दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित वितरक मुल्य पर साँची दुग्ध, दुग्ध उत्पाद एवं घी उसकी मांग अनुसार विपणन हेतु प्राप्त करेगा, किन्तु कतिपय कारणों से जैसे पावर सप्लाई में गड़बड़ी दुग्ध संयंत्र की यांत्रिकी गड़बड़ी रॉ मटेरियल (दुग्ध व अन्य पैकेजिंग समान आदि) की अनुपलब्धता हड़ताल, भुकंप आदि की स्थितियों में दुग्ध संघ किसी भी तरह से हर्जाने आदि के भुगतान को न दिये जाने हेतु पूर्ण रूपेण स्वतंत्र व कनुनी प्रक्रिया से परे होगा।

5. वितरक प्राप्त किये गये सॉची दुग्ध, दुग्ध उत्पादों एवं घी के उचित भण्डारण/प्रशीतन हेतु डीपफ्रीजर की व्यवस्था करेगा, जिससे कि दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद की गुणवत्ता प्रभावित न हो।

6. वितरक को प्रतिदिन दुग्ध, दुग्ध पदार्थ एवं घी विक्रय राशि (सुबह–शाम मिलाकर) का आर.टी.जी.एस. (ई–पेमन्ट) के माध्यम से अग्रिम जमा करना होगा। ई–पेमेन्ट के माध्यम से प्राप्त भुगतान की जानकारी वित्त शाखा द्वारा विपणन शाखा को उपलब्ध कराने पर वितरक को दुग्ध, दुग्ध उत्पाद एवं घी प्रदाय किया जायेगा। अपरिहार्य स्थिति जैसे – इंटरनेट बैंकिंग के सर्वर डाउन होने, आदि कि स्थिति में वितरक संघ में रेखांकित (दुग्ध संघ के हित में) धनादेश देना होगा। धनादेश लगाकर भुगतान प्राप्त किया जाएगा। धनादेश बाउंस होने संघ के नियम अनुसार रूपये 1000/– प्रतिदिन अर्थदण्ड सहित संपूर्ण राशि संघ में जमा करनी होगी। राशि जमा न करने की स्थिति में दुग्ध संघ वितरक का कानुनी कार्यवाही मय हर्जे–खर्चे करने हेतु स्वतंत्र होगा, तथा बाउंस धनादेश के भुगतान प्राप्त करने का हकदार होगा, या उसके द्वारा रखी गई जमानत राशि/बैंक ग्यारंटी/फिक्स्ड डिपॉजिट से अलग–अलग या मिलाकर वसूली करने का पूर्ण अधिकार दुग्ध संघ को होगा। अवकाश की स्थिति में अवकाश दिनों की प्रदायगी की धनराशि भी अग्रिम रूप से जमा करनी होगी। यह भुगतान चेक/आर.टी.जी.एस. के माध्यम से संघ द्वारा प्राप्त किया जाएगा। विशेष परिस्थिति में वितरक द्वारा संघ के सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर नगद राशि भी संघ में जमा की जा सकेगी। संघ द्वारा बताई गई बैंकों की सूची में से किसी एक बैंक में वितरक को वित्तिय व्यवहार के लिए खाता खोलना अनिवार्य होगा।

7. वितरक दुग्ध संघ से प्राप्त क्रेट/केन्स आदि का पूर्ण लेखा–जोखा रखेगा तथा इसकी पूर्ण वापसी हेतु जवाबदार रहेगा ऐसा न करने पर दुग्ध संघ के पास वितरक की क्रेट्स/केन्स की राशि वसूलने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

8. वितरक शासन के समस्त निर्धारित करों आदि के भुगतान हेतु पूर्ण रूपेण जवाबदारी व्यक्तिशः या कानुनी रूप से होगा तथा केन्द्र शासन/राज्य शासन के इस विषय पर समय–समय के निर्देशों के पालनार्थ पूर्ण रूपेण बाध्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में संबंधित समस्त कानुनी कार्यवाही वितरक के विरूद्ध की जा सकेगी, व एसी किसी भी कार्यवाही से दुग्ध संघ पूर्ण रूपेण मुक्त रहेगी।

9. दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित उपभोक्ता मुल्य पर ही दूध, दुग्ध पदार्थ एवं घी विक्रय करेगा, तथा फूटकर विक्रेताओं को संघ द्वारा निर्धारित कमीशन देना होगा।

10. वितरक के मार्ग में स्थित केन्द्र प्रभारियों द्वारा उनकों विपणित की गई दुग्ध/दुग्ध उत्पाद एवं घी राशि को प्राप्त करना होगा।

11. वितरक से जो भी अर्थदण्ड की राशि वसूल किया जाना अनुबंध की शर्तो में प्रस्तावित है, कि वसूली वितरक की संघ में रखे धनादेश के माध्यम से अथवा उनके द्वारा रखी अमानत राशि से की जावेगी।

12. समय–समय पर दुग्ध संघ द्वारा वितरक को .... क्षेत्र हेतु विक्रय लक्ष्य दिये जावेंगें। जिसकी प्राप्ती सुनिश्चित करना वितरक के लिए अनिवार्य होगी तथा लक्ष्यों की प्राप्ति न करने पर इस संबंध में लिए गए निर्णयों को मानने हेतु वितरक बाध्य होगा।

13. दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित ट्रेड मार्जिन जो कि वितरक को देय होगा, में लोकल परिवहन भी सम्मिलित होगा।

14. वितरक द्वारा लगातार दुग्ध संघ की अपेक्षाओं के अनुरूप विपणन कार्य न कर पाने पर दुग्ध संघ द्वारा **..................... क्षेत्र** के वितरक के रहते हुए भी अन्य वितरक नियुक्त करने हेतु स्वतंत्र होगा या वितरक की वितरक कार्य बिना नोटिस दिये निरस्त करने हेतु पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होगा।

15. वितरक उसको आवंटित की गई वितरक कार्य किसी अन्य को हस्तांरित/स्थानांतरित नहीं कर सकेगा। ऐसा करते पाये जाने पर दुग्ध संघ बिना कोई नोटिस दिये उसका कार्य आवंटन निरस्त कर सकेगा तथा उसकी अमानत राशि राजसात कर सकेगा।

16. दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद क्रेट में प्रदाय किये जाएगें, उसकी समतुल्य राशि दुग्ध संघ कार्यालय में वितरक को सुरक्षा राशि के रूप में नगद जमा करनी होगी। कार्य समाप्त करने के दौरान सम्पूर्ण क्रेट जमा करने पर सुरक्षा राशि वापिस की जा सकेगी।

17. समय–समय पर दुग्ध संघ द्वारा वितरक को दुग्ध विक्रय प्रोत्साहन हेतु दिये गये निर्देशों का पालन करने हेतु वितरक बाध्य होगा एवं यदि दुग्ध संघ यह पाता है कि वितरक विक्रय प्रोत्साहन हेतु आवश्यक प्रयास नहीं कर पा रहा है या उसे दिये समय – समय पर दिशा निर्देशों का जो विक्रय प्रोत्साहन कार्य के लिए आवश्यक है तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ अपने व्यवसायिक हितों को सार्वोपरि रखते हुए कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।

18. इस अनुबंध की न्यायिक कार्यक्षेत्र उज्जैन शहर के न्यायालय में होगा तथा यह अनुबंध उपरोक्त शर्तों के अधीन दुग्ध संघ एवं वितरक की आपसी रजामंदी के तहत दिनांक ....को किया गया है एवं दुग्ध संघ वितरक के कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में इस अनुबंध की समयावधि उपरोक्त शर्तों के अधीन बढ़ा सकेगा।

19. .... क्षेत्र के विक्रेताओं से साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की राशि वसूल करने की सम्पूर्ण जवाबदारी वितरक की होगी।

20. दुग्ध संघ द्वारा समय–समय पर जो भी निर्देश वितरकों को पत्रों/परिपत्रों के माध्यम से दिये जायेंगे, वे पत्र/परिपत्र अनुबंध के भाग माने जावेंगे।

21. यह कि किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में विवाद का निराकरण मध्यस्थल एवं सुलह अधिनियम के अंतर्गत अध्यक्ष उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन का निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों पर बंधनकारी होगा।

22. इस अनुबंध की अवधि तीन वर्ष दिनांक .... से दिनांक .... तक मान्य होंगी। कार्य संतोषप्रद होने पर कार्य अवधि एक–एक वर्ष करके दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।

मैं ....श्री/श्रीमती ....संबंध.................................. नामनी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता/करती हुं।

दिनांक ....स्थान...

वितरक

हस्ताक्षर ....
नाम ....
पता ....

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
मक्सी रोड़, उज्जैन – 456010

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)
वितरक
नाम..
पता..

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)
महाप्रबंधक/सहा.महाप्रबंधक/प्रबंधक
विपणन
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
मक्सी रोड़, उज्जैन – 456010

हस्ताक्षर साक्ष्य – 1
नाम : ....
पताः..

हस्ताक्षर साक्ष्य – 1
नाम :..
पताः ....